प्रादेशिक समाचार

27.10.2024 (संध्या 1900 बजे)

मुख्य समाचार

1. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को किया याद, देशवासियों से अपने विचार हैशटेग बिरसा मुंडा 150 पर साझा करने की अपील की।

2. श्री मोदी ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर फर्जीवाड़े को रोकने के प्रति जताई प्रतिबद्धता, डिजिटल सुरक्षा के लिए लोगों को रुको, सोचो और करो के तीन उपाय अपनाने की दी सलाह।

3. 13 नवंबर को पहले चरण में 43 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर नामांकन पत्रों की कल होगी जांच, 30 नवंबर तक प्रत्याशी अपने नाम ले सकेंगे वापस।

4. झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दीवाली, छठ पर्व के दौरान दो घंटे ही आतिशबाजी की दी अनुमति, झारखंड हाईकोर्ट ने भी 125 डेसिबल से कम ध्वनि क्षमता वाले पटाखों की बिक्री का दिया आदेश।

****

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश के लोगों के साथ अपने विचारों को साझा करते हुए भगवान बिरसा मुण्डा के योगदान को याद किया। श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष 15 नवम्बर को धरती आबा की 150वी जयन्ती मनाई जाएगी। इसे हम सभी मिलकर यादगार बनाए। श्री मोदी ने कहा कि साहस और दूरदर्शिता वाले महानायक भगवान बिरसा मुंडा का विजन पूरे देश के लिए प्रेरण स्त्रोत है। श्री मोदी ने लोगों से भारत के लौह पुरुष सरदार पटेल पर अपने विचार #Sardar150 के साथ और धरती–आबा बिरसा मुंडा पर अपने विचार #BirsaMunda150 के साथ साझा करने का आग्रह किया।

****

श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सभी जांच एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे ऐसे फर्जी कॉल आने पर भयभीत न हों। प्रधानमंत्री ने डिजिटल सुरक्षा के लिए तीन उपायों की चर्चा की। ये उपाय हैं–रुको, सोचो और करो। उन्होंने ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर लोगों को शांत रहने और अपनी व्यक्तिगत सूचना किसी से भी साझा न करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि संभव होने पर ऐसे क्षण का स्क्रीनशॉट लेना चाहिए और बातचीत को रिकार्ड करना चाहिए।

श्री मोदी ने कहा कि मेक इन इंडिया अब मेक फॉर वर्ल्ड बन गया है। उन्होंने कहा वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत अभियान देश की सामूहिक चेतना और जन अभियान बन चुका है।

श्री मोदी ने लोगों को आगामी त्योहारों – धनतेरस, दिवाली, छठ पूजा और गुरु नानक जयंती के लिए शुभकामनाएं दीं।

****

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रांची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात को जनजागरूकता का अभियान बनाया है।

****

13 नवंबर को पहले चरण में 43 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की कल जांच होगी, जबकि नाम वापसी की अंतिम तारीख तीस अक्टूबर है। इस चरण में कुल आठ सौ पांच प्रत्याशियों ने नामांकन किया है. इनमें पूर्वी जमशेदपुर और पश्चिमी जमशेदपुर से सबसे ज्यादा बत्तीस–बत्तीस और सिमरिया तथा खूंटी से सबसे कम ग्यारह–ग्यारह प्रत्याशी हैं।

****

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी द्वारा सीता सोरेन के बारे में दी गयी आपत्तिजनक टिप्पणी की कड़ी आलोचना की है। श्री मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इरफान अंसारी को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की है।

****

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय ने झारखंड मुक्ति मोर्चा राजद और कांग्रेस की गठबंधन वाली वर्तमान राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। रविंद्र राय ने रांची में संवाददाता से बातचीत करते हुए कहा कि इन तीनों दल ने राज्य के विकास को प्रभावित किया है।

****

ईचागढ़ विधानसभा सीट से आजसू उम्मीदवार हरेलाल के खिलाफ उसकी पत्नी रीना महतो ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा भरा है। एनडीए गठबंधन की ओर से आजसू पार्टी के हरेलाल महतो को टिकट दिया गया है, लेकिन हरेलाल की पत्नी रीना महतो ने इसी सीट से अपना निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन कर दिया है।

****

कांके विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के युवा नेता कमलेश राम के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दर्ज कराने के बाद भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा समेत कई नेताओं ने कल उनके आवास पर जाकर मुलाकात की और नामांकन वापस लेने का आग्रह किया था। जिसके बाद कमलेश राम ने अपना निर्णय वापस ले लिया।

****

आगामी त्यौहारों के लिए आतिशबाजी पर कड़े नियम लागू करते हुए झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कड़े नियम लागू किए जिसका उद्देश्य ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाना है। उपायुक्त विशाल सागर ने बताया कि दीवाली पर आतिशबाजी रात 08 बजे से रात 10 बजे छठ पर्व पर सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक की अनुमति है।, क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए केवल 35 मिनट तक ही आतिशबाजी की अनुमति होगी। इसके अलावा झारखंड हाईकोर्ट ने भी बढ़ते ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए आदेश दिया है कि केवल 125 डेसिबल से कम ध्वनि क्षमता वाले पटाखों की बिक्री की अनुमति दी है।

*******समाप्त*******